संख्या-12/2017-767/58-2017-332/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 11 मई 2017**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत् प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त 2017) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष अपेक्षित धनराशि के अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-09/बजट/2017-18, दिनांक 12.4.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान शाखा के अन्तर्गत उल्लिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में लेखानुदान से प्राविधानित धनराशि रू0-26719.99 लाख (रूपये-दो अरब सरसठ करोड़ उन्नीस लाख निन्यानबे हजार मात्र) के सापेक्ष रू0-9908.42 लाख (रूपये-निन्यानबे करोड़ आठ लाख बयालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की उद्यान शाखा के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पांच माहों (अप्रैल से अगस्त तक) के लिए लेखा अनुदान से स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	**लेखाशीर्षक/योजना का नाम**		**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**		**3**	**4**	**5**
1	2401-फसल कृषि कर्म- 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-केन्द्रीय निदेशालय	01-	वेतन	1086.31	475.00
		02-	मजदूरी	4.00	1.67
		03-	मंहगाई भत्ता	54.32	22.63
		04-	यात्रा व्यय	9.00	4.50
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	0.42
		06-	अन्य भत्ते	51.98	22.00
		07-	मानदेय	2.80	1.17
		08-	कार्यालय व्यय	10.50	4.38
		09-	विद्युत देय	20.00	12.50
		10-	जलकर/जलप्रभार	2.70	
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.00	1.67
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.05	0.44
		13-	टेलीफोन पर व्यय	3.00	1.25
		14-	मोटर गाडियों का क्रय	0.01	
		15-	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	14.00
		16-	व्यावसयिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	20.00	8.93
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	23.00	9.58
		18-	प्रकाशन	1.50	0.63
		22-	आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	0.25	0.10
		27-	सब्सिडी	10.00	-
		29-	अनुरक्षण	60.00	20.00
		42-	अन्य व्यय-मतदेय	3.50	1.46
			भारित	2.00	2.00
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य	1.36	0.57

http://shasanadesh.up.nic.in

			प्रासंगिकव्यय		
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	0.75	-
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	-
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.00	1.67
		49-	चिकित्सा व्यय	25.00	18.83
		51-	वर्दी	0.42	-
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	65.52	-
			योग-03 मतदेय	**1498.97**	**623.40**
			भारित	**2.00**	**2.00**
2	**05-जिला व मण्डलीय कार्यालय**	01-	वेतन	9095.67	3900.00
		02-	मजदूरी	557.70	272.38
		03-	मंहगाई भत्ता	454.78	189.49
		04-	यात्रा व्यय	66.00	30.50
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5.00	2.08
		06-	अन्य भत्ते	262.50	109.38
		08-	कार्यालय व्यय	20.00	8.33
		09-	विद्युत देय	220.00	102.25
		10-	जलकर/जलप्रभार	5.00	2.08
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	13.40	5.58
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	2.08
		13-	टेलीफोन पर व्यय	6.09	3.00
		14-	मोटर गाडियों का क्रय	15.22	14.17
		15-	गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	63.00	35.00
		16-	व्यावसयिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	20.00	10.00
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	15.00	6.25
		18-	प्रकाशन	0.50	0.45
		21-	छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.50	-
		27-	सब्सिडी	9.34	-
		29-	अनुरक्षण	40.00	16.67
		42-	अन्य व्यय	180.00	80.00
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	330.00	150.00
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00	0.42
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	1.50	0.63
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8.00	3.33
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.20	1.75
		49-	चिकित्सा व्यय	90.00	70.00
		51-	वर्दी	2.00	0.83
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	548.57	-
			योग-05	**12039.97**	**5016.65**
3	07-मधुमक्खी पालन	02-	मजदूरी	2.28	1.42
		21-	छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	2.00	-
		29-	अनुरक्षण	1.00	0.50
		42-	अन्य व्यय	1.50	0.90
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	10.00	4.17
			योग-07	**16.78**	**6.99**
			योग-001 मतदेय	**13555.72**	**5647.04**
			भारित	**2.00**	**2.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

4	108-वाणिज्यिक फसलें- 03-प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन				
		27-	सब्सिडी	47.68	-
		42-	अन्य व्यय	2.40	-
			योग-03	**50.08**	**0.00**
5	05-पान विकास हेतु प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र	02-	मजदूरी	6.25	3.00
		08-	कार्यालय व्यय	0.35	0.15
		09-	विद्युत देय	0.20	0.08
		11-	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.30	0.13
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.10	-
		29-	अनुरक्षण	1.20	-
		42-	अन्य भत्ते	0.50	0.35
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	2.50	1.04
			योग-05	**11.40**	**4.75**
6	**07-उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014 का क्रियान्वयन**	**20-**	**सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)**	**18.00**	**6.00**
		27-	**सब्सिडी**	**16.00**	-
			योग-07	**34.00**	**6.00**
7	**08-पान प्रयोग प्रशिक्षण केन्द्र महोबा**	**42-**	**अन्य व्यय**	**5.00**	**2.08**
		44-	**प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय**	**10.00**	**4.17**
			योग-08	**15.00**	**6.25**
			योग-108	**110.48**	**17.00**
8	**119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के60/रा40 के0 + रा0)**	**02-**	**मजदूरी**	**20.00**	-
		04-	**यात्रा व्यय**	**20.00**	**2.00**
		08-	**कार्यालय व्यय**	**25.00**	**2.00**
		11-	**लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई**	**30.00**	**2.00**
		12-	**कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण**	**15.00**	-
		13-	**टेलीफोन पर व्यय**	**6.00**	**0.50**
		15-	**गाडियों का अनुरक्षण**	**104.58**	**10.00**
		16-	**व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान**	**150.00**	**5.00**
		18-	**प्रकाशन**	**15.00**	-
		19-	**विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय**	**20.00**	-
		27-	**सब्सिडी**	**3209.18**	**936.47**
		29-	**अनुरक्षण**	**20.00**	-
		42-	**अन्य व्यय**	**200.00**	**10.00**
		43-	**सामग्री और सम्पूर्ति**	**20.00**	-
		44-	**प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय**	**200.00**	**50.00**
		46-	**कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्वेयर का क्रय**	**0.14**	-
		47-	**कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय**	**25.00**	**2.00**
			योग-0101	**4079.90**	**1019.97**
9	**0102-पर ड्राप क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के60/रा40 के0 + रा0)**	**27-**	**सब्सिडी**	**1500.00**	**375.00**
		42-	**अन्य व्यय**	**75.00**	**18.75**
		44-	**प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय**	**25.00**	**6.25**
			योग-0102	**1600.00**	**400.00**
			योग-01	**5679.90**	**1419.97**
10	**03-नर्सरी 0304-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण (भारित)**	01-	वेतन	**106.71**	**45.00**
		02-	मजदूरी	**30.80**	**12.83**
		03-	मंहगाई भत्ता	**5.34**	**2.23**
		04-	यात्रा व्यय	**0.40**	**0.17**

http://shasanadesh.up.nic.in

		06-	अन्य भत्ते	**3.68**	**1.75**
		08-	कार्यालय व्यय	**0.30**	**0.15**
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**0.20**	**0.10**
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.05**	-
		13-	टेलीफोन पर व्यय	**0.20**	**0.10**
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	**1.00**	**0.50**
		29-	अनुरक्षण	**0.20**	**0.10**
		42-	अन्य व्यय	**10.00**	**4.50**
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	**10.50**	**4.50**
		46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	**0.30**	-
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**0.20**	**0.10**
		49-	चिकित्सा व्यय	**3.00**	**2.77**
		51-	वर्दी	**0.20**	-
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**6.44**	-
			योग-0304	**179.52**	**74.80**
11	**0305-प्रदेश में औद्यानिक उत्पादन का सघनीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग (जिला योजना)**	02-	मजदूरी	**18.00**	**10.00**
		08-	कार्यालय व्यय	**0.10**	-
		09-	विद्युत देय	**1.00**	-
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**0.10**	-
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.05**	-
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	**0.50**	-
		29-	अनुरक्षण	**0.50**	-
		42-	अन्य व्यय	**10.00**	**2.77**
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	**10.00**	**4.00**
			योग-0305	**40.25**	**16.77**
12	**0307-अलंकृत बागवानी का विकास**	02-	मजदूरी	**170.00**	**75.00**
		08-	कार्यालय व्यय	**0.50**	-
		09-	विद्युत देय	**10.00**	**6.00**
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**0.50**	-
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.50**	-
		15-	गाडियों का अनुरक्षण	**0.77**	-
		18	प्रकाशन	**0.05**	-
		29-	अनुरक्षण	**20.00**	-
		42-	अन्य व्यय	**70.00**	**30.00**
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	**50.00**	**23.30**
			योग-0307	**322.32**	**134.30**
13	**0310-प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास**	02-	मजदूरी	**3.00**	**1.50**
		08-	कार्यालय व्यय	**0.20**	-
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**0.15**	-
		29-	अनुरक्षण	**0.60**	-
		42-	अन्य व्यय	**0.70**	**0.30**
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	**1.00**	**0.55**
			योग-0310	**5.65**	**2.35**
14	**0311-बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास**				
		27-	**सब्सिडी**	**300.00**	**125.00**
			योग-0311	**300.00**	**125.00**
			योग-03 मतदेय	**668.22**	**278.42**
			भारित	**179.52**	**74.80**
			योग-119 मतदेय	**6348.12**	**1698.39**
			भारित	**179.52**	**74.80**
			योग-2401 मतदेय	**20014.32**	**7362.43**

http://shasanadesh.up.nic.in

			भारित	**181.52**	**76.80**
			योग-2401 (मतदेय + भारित)	**20195.84**	**7439.23**
15	**2406-वानिकी तथा वन्य जीव-** **02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव** **112-सार्वजनिक उद्यान-** **03-उद्यान**	01-	वेतन	**2352.78**	**1000.00**
		02-	मजदूरी	**459.80**	**200.00**
		03-	मंहगाई भत्ता	**117.64**	**49.02**
		04-	यात्रा व्यय	**7.50**	**3.13**
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**1.05**	-
		06-	अन्य भत्ते	**94.60**	**39.42**
		08-	कार्यालय व्यय	**6.00**	**2.50**
		09-	विद्युत देय	**50.00**	**30.00**
		10-	जलकर/जलप्रभार	**0.17**	-
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**1.20**	**0.50**
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.70**	**0.29**
		13-	टेलीफोन पर व्यय	**1.50**	**0.65**
		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**1.10**	**0.55**
		16-	व्यावसयिक तथा विशेष सेवाओं का भुगतान	**0.80**	**0.40**
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	**0.15**	-
		18-	प्रकाशन	**0.70**	-
		29-	अनुरक्षण	**60.00**	**25.00**
		42-	अन्य व्यय	**157.50**	**65.63**
		43	सामग्री और सम्पूर्ति	**115.00**	**68.00**
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	**0.50**	**0.21**
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**1.00**	**0.42**
		49-	चिकित्सा व्यय	**15.00**	**8.69**
		51-	वर्दी	**1.50**	**0.63**
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**141.90**	-
			योग-03 मतदेय	**3588.09**	**1495.04**
16	**04-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क**	**02-**	**मजदूरी**	**42.52**	**17.79**
		12-	**कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण**	**0.20**	-
		42-	**अन्य व्यय**	**40.00**	**16.67**
		43-	**सामग्री और सम्पूर्ति**	**32.14**	**13.40**
			योग-04	**114.86**	**47.86**
17	**05-राजकीय उद्यान नारायणबाग झांसी**	**02-**	**मजदूरी**	**24.92**	**10.38**
		42-	**अन्य व्यय**	**5.16**	**5.16**
		43-	**सामग्री और सम्पूर्ति**	**20.56**	**20.56**
			योग-05	**50.64**	**36.10**
			योग-2406	**3753.59**	**1579.00**
18	**2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-** **80-सामान्य** **004-अनुसंधान** **06-प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र**	01-	वेतन	**1176.96**	**510.00**
		02-	मजदूरी	**20.00**	**12.00**
		03-	मंहगाई भत्ता	**58.85**	**24.52**
		04-	यात्रा व्यय	**5.50**	**2.50**
		05-	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	**1.20**	-
		06-	अन्य भत्ते	**40.00**	**16.67**
		08-	कार्यालय व्यय	**5.00**	**2.10**
		09-	विद्युत देय	**8.00**	**6.00**
		10-	जलकर/जलप्रभार	**0.20**	-
		11-	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**1.00**	**0.50**
		12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**0.30**	-
		13-	टेलीफोन पर व्यय	**1.40**	**1.06**

http://shasanadesh.up.nic.in

		15-	गाड़ियों का अनुरक्षण	**3.00**	**1.50**
		17-	किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	**1.50**	-
		18-	प्रकाशन	**0.05**	-
		21-	छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	**1.20**	**0.50**
		29-	अनुरक्षण	**35.00**	**14.58**
		42-	अन्य व्यय	**5.00**	**2.50**
		43-	सामग्री और सम्पूर्ति	**7.00**	**3.50**
		45-	अवकाश यात्रा व्यय	**0.40**	**0.25**
		47-	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	**0.50**	**0.21**
		49-	चिकित्सा व्यय	**7.00**	**6.00**
		51-	वर्दी	**0.50**	-
		52-	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	**70.98**	-
			योग-06	**1450.54**	**604.39**
			योग-2415	**1450.54**	**604.39**
			योग-राजस्व लेखा मतदेय	**25218.45**	**9545.82**
			भारित	**181.52**	**76.80**
			कुलयोग-राजस्व लेखा	**25399.97**	**9622.62**
20	**4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय 0103-बीज- 03-रोग रहित आलू के बीज पौध कांटेदार बाड के खम्बे की लागत प्रासंगिक व्यय सहित**	**42-**	**अन्य व्यय**	**150.00**	**80.00**
		43-	**सामग्री और सम्पूर्ति**	**300.00**	**107.50**
			योग-03	**450.00**	**187.50**
			योग-103	**450.00**	**187.50**
21	**119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (के60/रा40 के0 + रा0)**	**24-**	**वृहत निर्माण कार्य**	**350.00**	-
		26-	**मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र**	**50.00**	-
			योग-01	**400.00**	**0.00**
22	**03-नर्सरी 301-विभाग की स्थापित प्रक्षेत्र/पौधशाला/उद्यान आदि हेतु कृषि/उद्यान यंत्रों व मशीन का क्रय**	**26-**	**मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र**	**12.00**	**5.00**
			योग-301	**12.00**	**5.00**
23	**302-राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण**	**26-**	**मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र**	**0.50**	-
			योग-302	**0.50**	**0.00**
			योग-03	**12.50**	**5.00**
			योग-119	**412.50**	**5.00**
			योग-4401	**862.50**	**192.50**
24	**4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय- 02-पर्यावणीय वानिकी तथा वन्य जीव- 112-सार्वजनिक उद्यान- 03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क**	**24-**	**वृहद निर्माण कार्य**	**90.00**	-
		26-	**मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र**	**0.20**	-
			योग-03	**90.20**	**0.00**
25	**06-राजकीय उद्यान जवाहरबाग मथुरा का जीणोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण**	**24-**	**वृहत निर्माण कार्य**	**367.32**	**93.30**
			योग-06	**367.32**	**93.30**
			योग-112	**457.52**	**93.30**
			योग-4406	**457.52**	**93.30**
			योग-पूंजीलेखा मतदेय	**1320.02**	**285.80**
			भारित		

http://shasanadesh.up.nic.in

			कुल योग-(राजस्व पूंजीलेखा)मतदेय	**26538.47**	**9831.62**
			भारित	**181.52**	**76.80**
			वृहद योग-(मतदेय एवं भारित)	**26719.99**	**9908.42**

(रू0-निन्यानबे करोड़ आठ लाख बयालिस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों(अप्रैल से अगस्त 2017 तक) के वेतन आदि के वहन हेतु किया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत राजाज्ञा(अनुभाग लेखा) सं0-1238-दस 63/(1)-15 दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-ए/2364-दस 63/(1)-15 दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

(3) केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

(6) प्रस्तर-3 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय भारत सरकार कृषि मन्त्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानोंके तहत किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/-दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नबीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) वेतन मद में स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं पदधारकों के वेतन एवं भत्ते के विरूद्ध किया जायेगा जिसकी नियुक्ति अथवा जिनकी नियुक्ति के लिए पदों का सृजन अथवा वेतन स्तर पर वृद्विपरिवर्तन अथवा प्रोन्नति अथवा अन्य/कोई तत्संबंधी वित्तीय उपाशय अन्तर्निहित है।

(9) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राजय सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(11) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियन्त्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।

(13) भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(15) उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

(16) यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन,उद्यान तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग एवं संबंधित जनपद के लिए उद्यान अधिकारी/अधीक्षक,राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

(17) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

(18) वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02.1.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:12/2017-767(1)/58-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुवाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in